Concern over the rising problem of infiltration in India

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड)**:** उपसभापति जी, आपने मुझे देश के सम्मुख प्रस्तुत बहुत ही सीरियस विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भारत से लगती हुई अलग-अलग देशों की सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्गों से हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान और अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं और कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान सेवक, नरेन्द्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इन्हें रोकने के लिए काफी सख्ती बरती जा रही है। अलग-अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या व अन्य घुसपैठिए उत्तर-पूर्व से पश्चिमी बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, बंगाल से ट्रेन के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली और फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा से सटे संवेदनशील जम्मू-कश्मीर तक डेरा डाल चुके हैं। उत्तराखंड और इससे सटी नेपाल सीमा पर बसे रोहिंग्या, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए पश्चिम नेपाल तक पहुंच गए हैं, जहां से उन्हें इस्लामी संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फाइनेंस मिल रहा है। पीएफआई जैसे संगठन भारत में उनके मददगार हैं। रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश के बाद विभिन्न राज्यों में उनके मददगार सुरक्षित ठिकानों और दूर के राज्यों तक पहुंचाने के मार्ग एवं माध्यमों की पड़ताल गहनता से करनी होगी। इस पूरी श्रृंखला की जांच और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके रोहिंग्या मुसलमान और अन्य घुसपैठिए यहां के ज़रूरी दस्तावेज़ भी हासिल कर लेते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि हर दस्तावेज की एक तय कीमत होती है। शुरुआत फर्जी निर्वाचन कार्ड बनाने से होती है। दलालों के माध्यम से इन्हें मात्र तीन-चार हजार रुपये में फर्जी प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। आज के समाचार पत्र में यहां तक छपा है कि किस प्रकार कुछ दलाल कॉरपोरेट ऑफिस के रूप में काम कर रहे हैं, जो इनको सीमा पर पूरी सहायता देते हैं। कुछ पकड़े गए घुसपैठियों से मिली जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन कार्ड के लिए 5,000 रुपये, राशन कार्ड के लिए 10,000 रुपये, आधार कार्ड के लिए 25,000 रुपये, पासपोर्ट के लिए 1,00,000 रुपये तथा नेपाल पहुंचने के लिए इनको अतिरिक्त रुपये देने पड़ते हैं।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म-प्रमाण पत्र बनाने के मामले में नए खुलासे हाल ही में हुए हैं।

अत**:** सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। जो लोग अवैध रूप से घुसपैठियों को भारत ला रहे हैं, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए और उन्हें यहां रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले दलालों को गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय, ये लोग Saha Institute of Nuclear Physics के पास तक पहुंच गए हैं ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Naresh Bansal: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Maharaja Sanajaoba

Leishemba (Manipur), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat) and Shri Subhash Barala (Haryana).

माननीय श्री पी. विल्सन।

Demand for holistic approach towards delimitation of constituencies for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, this is about impending danger of delimitation, in the year 2026, as set out in the Constitution. Delimitation was conducted after each Census in the years 1952, 1962 and 1972 to ensure fair representation of all States. However, a significant disparity appeared while some States embraced family planning policies, others ignored the issue allowing their population to grow unchecked. To address this inequality, 42nd Constitution Amendment froze delimitation based on 1971 Census data for 25 years, thereby safeguarding the States which managed their population from losing political influence. The freeze on fresh delimitation was extended through the 84th Constitution Amendment following the recommendation of the National Population Policy in the year 2000, which expected stabilization of population growth across all States by 2026.The Constitution Amendment aimed at providing motivation for States to actively pursue the goal of population stabilization.

In May, 2000, under the chairmanship of hon. Prime Minister, the National Population Commission was established to implement the National Population Policy to achieve population stabilization. However, in the last ten years, the National Population Commission has become defunct leading to a significant failure with regard to its mandate of uniform population stabilization. Data shows that States like Tamil Nadu have a Total Fertility Rate (TFR) of 1.7 and Kerala has a TFR of 1.8 indicating that these States have successfully stabilized their population. In contrast, Uttar Pradesh has a TFR of 2.4 and Bihar has a TFR of 3.0, which suggests that these States continue to experience exponential population growth. This also suggests that